न्यायालयः–उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर जिला–सलूम्बर (राज.)

बजरिये श्री पर्वत सिंह चूण्डावत आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 140 / 2022 प्रार्थना पत्र

1. श्री मांगीलाल पुत्र चम्पालाल जैन उम्र बालिग
2. श्री बंशीलाल पुत्र चम्पालाल जैन उम्र बालिग
3. श्री भंवरलाल पुत्र चम्पालाल जैन उम्र बालिग

सभी निवासी–जैन मोहल्ला, डिंगरी रोड, बस्सी सामचोत, तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)

–प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीमती देवी बाई पत्नी भारत सिंह चूण्डावत जाति राजपुत उम्र बालिग निवासी महादेव खेडा, बस्सी सामचोत तहसील सलूम्बर (राज.)

–विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः श्री ललित कुमार जोशी अधिवक्ता–प्रार्थीगण
श्री भगवतीलाल सुथार अधिवक्ता –विपक्षी

–::निर्णय::–

दिनांकः– 15/10/2024

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर अंकित किया कि हम प्रार्थीगण की संयुक्त कृषि भूमि मौजा महादेव खेडा पटवार हल्का बस्सी सामचोत तहसील सलूम्बर के खाता संख्या 195 आराजी नम्बर 1566, 1569 कुल किता 2 रकबा 0.2900 हैक्टेयर स्थित है। उक्त कृषि भूमि से लगी हुई विपक्षी की आराजी 1571, 1572 कुल किता 2 कुल रकबा 0.22 हैक्टेयर स्थित है। प्रार्थीगण व विपक्षी की आराजीयात पुरी एक चक में होकर पास–पास स्थित है तथा उक्त वर्णित विपक्षी की आराजीयात से होकर प्रार्थीगण का पुराना कदमीना रास्ता है। अभी हाल दिनांक 22–09–2022 को विपक्षी ने प्रार्थीगण के उक्त पुराने रास्ते को जबरन बन्द कर दिया है जिससे तमाम प्रार्थीगण का खेतो पर आना जाना, पशु ,बैल आदि लाना ले जाना व ट्रेक्टर लाना ले जाने मे भारी समस्या उत्पन्न हो गई है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि उक्त पुराना रास्ता विपक्षी की आराजी नम्बर 1571 व 1572 में से होकर है उक्त रास्ता पुनः खुलवाया जाये जिसके लिये प्रार्थीगण नियमानुसार शुल्क राजकोष में जमा कराने के लिये तैयार है।

प्रार्थनापत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी की ओर से अधिवक्ता श्री भवतीलाल सुथार ने वकालतनामा एवं जवाब प्रस्तुत कर अंकित किया कि प्रार्थीगण व विपक्षी की भूमि एकचक होना अस्वीकार है, पास–पास होना स्वीकार है व विपक्षीया की भूमि मे से प्रार्थीगण का पुराना रास्ता होना अस्वीकार है। प्रार्थीगणो का उक्त विपक्षीया की भूमि मे से रास्ते के उपयोग का कोई अधिकार नही है। विपक्षी की आराजीयात के अलावा अन्य आराजी मे से भी प्रार्थीगण के आने जाने के लिये निकट का रास्ता है। जानबुझ कर एक महिला खातेदार होने से प्रार्थीगण दुरूपयोग करके विपक्षीया से धनबल व भूजबल से उक्त रास्ता प्राप्त करना चाहते है। विपक्षीया की कुल भूमि बहुत कम है यदि यहां से रास्ता दिया गया तो उसकि समस्त

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

भूमि ही रास्ते में चली जायेगी व विपक्षीया खातेदारी हक खो बैठेगी व उसकी आजीविका पर भी संकट आ जायेगा। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

प्रकरण मे तहसीलदार सलूम्बर के पत्रांक 414 दिनांक 10.09.2024 द्वारा प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट में अंकित किया कि प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये प्रस्तावित रास्ते के अलावा आराजी नम्बर 1567 रकबा 0.04 हैक्टेयर भूमि में से प्रार्थीगण को अपनी भूमि में आने जाने के लिये निकटतम रास्ता है।

पत्रावली मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने बहस अपने प्रार्थनापत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराया एवं विपक्षी की आराजी नम्बर 1571 व 1572 में से होकर है उक्त रास्ता दिये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता विपक्षीया ने बहस मे कथन किया की प्रार्थीगण की कृषि आराजीयात में आने जाने हेतु विपक्षीया की आराजी के अलावा अन्य पडोसी खातेदार की ओर से रास्ता आता है वह ज्यादा नजदीक है जबकि विपक्षीया की तरफ का रास्ता वैकल्पिक है। विपक्षीया की कुल भूमि बहुत कम है यदि उसमे से रास्ता दिया गया तो विपक्षीया की समस्त भूमि ही रास्ते मे चली जायेगी। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस मनन की गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं तहसीलदार सलूम्बर से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण ने रास्ता आराजी नम्बर 1571 व 1572 में से चाहा है। तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार निकटतम रास्ता आराजी नम्बर 1571 व 1572 मे से न होकर आराजी नम्बर 1567 मे से है। प्रार्थीगण ने आराजी नम्बर 1567 मे से रास्ता अपने प्रार्थना पत्र मे नही चाहा है। निकटतम व सबसे छोटे रास्ते संबंधित तथ्य प्रार्थीगण ने न्यायालय से छूपाए है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही पाया जाता है।

–::आदेश::–

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

निर्णय दिनांक 15/10/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पर्वत सिंह चुण्डावत RAS)
उपखण्ड अधिकारी सलूम्बर
जिला–सलूम्बर